

“थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24.09.2025 की रात्रि में एक व्यक्ति को पीटकर घायल कर देने तथा जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने सम्बन्धी अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी नगर निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के नेतृत्व में अपराधों की रोकथाम एवं घटनाओं के सफल अनावरण के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण - :

थाना सदर बाजार पर दिनांक 25.09.25 को वादी द्वारा दिये गये प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0सं0-578/25 धारा 105 बी.एन.एस बनाम 1. नचनिया उर्फ प्रेमपाल पुत्र ओमकार निवासी ग्राम ऊमरपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर 2. विपिन कुमाल पुत्र अज्ञात नि0 अज्ञात के विरुद्ध वाबत अभियुक्तों द्वारा वादी के साले को दिनांक 24.09.25 की रात्रि में समय मोहल्ला कटिया टोला में लाठी डण्डे व ईंटों से पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने जिसकी दौराने उपचार मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था।

थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम के द्वारा सीसीटीवी कैमरों, मैनुअल इनपुट व अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की घटना में संलिप्त/नामित अभियुक्त नचनिया उर्फ प्रेमपाल पुत्र ओमकार निवासी ग्राम ऊमरपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर को आज दिनांक 27.09.25 को समय 12.28 बजे रेलवे के पुराने मनोरंजन हाल खण्डहर से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद डंडा व 01 ईंट खुनालुद बरामद की गयी है। अभियुक्त विपिन के गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

नचनिया उर्फ प्रेमपाल पुत्र ओमकार उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम ऊमरपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का दिनांक/ समय व स्थान-

दिनांक 27.09.2025 , समय करीब 12.28 बजे, स्थान- रेलवे के पुराने मनोरंजन हाल खण्डहर, थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत।

बरामदगी -

घटना में प्रयुक्त डण्डा व ईंट (खुन से सनी)

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 578/22 धारा 105 बी.एन.एस थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0सं0 242/24 धारा 308,323,394,411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

निरीक्षक विनोद कुमार यादव

उ0नि0 शिवम अग्रवाल

उ0नि0 हरेन्द्र कुमार

का0 1757 संजय पोसवाल

का0 417 अंकित सिंह चौहान

पूछताछ अभियुक्त -

अभियुक्त ने पुछने पर बताया की साहब मैं ट्रेन में शाहजहाँपुर से बरेली तक लड़कियों का सूट पहनकर नाच गाकर पैसे मांगकर अपना जीवन यापन करता हूं इसलिये लोग मुझे नचनिया भी कहते हैं। विपिन से मेरी मुलाकात लगभग एक डेढ़ महीने पहले बस स्टेशन शाहजहाँपुर में हुई थी तबसे हम लोगों में दोस्ती हो गयी, हम लोग साथ ही खाते पीते थे। विपिन भी कबाड़ बीनने का काम करता है तथा इधर-उधर रहकर अपना जीवन यापन करता है। दिनांक 24.09.2025 को रात्रि लगभग 8 बजे मैं ट्रेन से नाच गाकर वापस आया मुझे बस अड्डे पर विपिन मिला मैंने और विपिन ने बस अड्डे पर स्थित देशी ठेके से शराब ली और पिये फिर खाना खाये रात्रि लगभग 10 बजे मैं तथा विपिन बाबा विश्वनाथ मन्दिर पर आये वहां मैंने तथा विपिन ने मन्दिर पर लगे फ्रिज से ठण्डा पानी पिया। उसके बाद सुरेन्द्र हमें वहीं दिखाई दिया सुरेन्द्र ने हमें वहां से डांटकर भगाया फिर मैं तथा विपिन वहां से चले गये कुछ देर बाद जब मैं तथा विपिन मोहल्ला कटिया टोला में घूम रहे थे हमें सुरेन्द्र वहीं दिखायी दिया उसके हाथ में एक डंडा था जो हम लोगो को पिटने के लिये दौड़ा जिससे हम लोगो को गुस्सा आ गया तो मैंने तथा विपिन ने सुरेन्द्र के हाथ से डण्डा छीनकर पास में रखी ईंट से उसको काफी मारा पीटा जिससे सुरेन्द्र के सिर से काफी खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गया तब मैं और विपिन वहां से भाग गये और हमलोग घटना में प्रयुक्त ईंट व डण्डा लेकर हाकी ग्राउण्ड के किनारे खण्डहर बने कमरे में डर के मारे जाकर छुप गये वह सुनसान स्थान है कोई आता जाता नहीं है पहले भी मैं वहां छुप चुका हूं। वहीं पर मैंने व विपिन ने इस घटना में प्रयुक्त डंडा व ईंट को छुपा दिया था और वहां से चले गये थे। आज मैं बाहर जाने के लिये ट्रेन के इंतजार में छुपकर बैठा हुआ था कि आप लोगो ने पकड़ लिया ,साहब हमसे गलती हो गयी मैं पहले भी एक बार जेल जा चुका हूं। मुझे माफ कर दीजिये।

